

न्यायालय—प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश
वर्ग—1, तहसील चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

(पीठासीन अधिकारी— आसिफ अहमद अब्बासी)

व्यवहार वाद क्रं. 60ए/2016
संस्थित दिनांक. 04.07.2012

ललीबाई वेवा पत्नी स्व0 हरनाम सिंह लोधी आयु 55 साल
पेशा कृषि निवासी ग्राम खैरा तहसील चंदेरी जिला
अशोकनगर म0प्र0

..... वादियां

विरुद्ध

1. राजेश पुत्र भैयालाल जाति लोधी आयु 37 साल पेशा कृषि निवासी ग्राम बिजराबन तहसील खनियाधाना जिला शिवपुरी म0प्र0
2. श्रीमति शांतिबाई पत्नी बलवीर जाति लोधी आयु 50 साल पेशा कृषि निवासी ग्राम खैरा तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0
3. बलवीर पुत्र समरथ जाति लोधी आयु 50 साल पेशा कृषि निवासी ग्राम खैरा तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0
4. श्रीमति हरेश कुमारी पुत्री हरनाम सिंह पत्नी लोकपाल जाति लोधी आयु 40 साल पेशा कृषि निवासी ग्राम गोराकला तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0
5. श्रीमति शशि पुत्री हरनामसिंह पत्नी हरबान सिंह जाति लोधी आयु 38 साल पेशा कृषि निवासी ग्राम जखौरा तहसील एवं जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश
6. श्रीमति लक्ष्मी पुत्री हरनामसिंह पत्नी राजेश जाति लोधी आयु 32 साल पेशा कृषि निवासी ग्राम बिजराबन तहसील खनियाधाना जिला शिवपुरी म0प्र0
7. श्रीमति रानी पुत्री हरनाम सिंह पत्नी सुरेंद्र जाति लोधी आयु 30 साल पेशा कृषि निवासी ग्राम बार तहसील बांसी जिला ललितपुर उत्तरप्रदेश
8. कु0 कुअरवती पुत्री हरनाम सिंह जाति लोधी आयु 22 साल नावा0 संरक्षक बहिन श्रीमति हरेशकुमारी पुत्री हरनामसिंह पत्नी लोकपाल जाति लोधी आयु 40 साल पेशा कृषि निवासी ग्राम गोराकला तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

9. दीपचंद पुत्र रज्जू जाति लोधी आयु 55 साल पेशा कृषि निवासी ग्राम खैरा
10. सिमियाबाई वेवा पत्नी रज्जू जाति लोधी आयु 75 साल पेशा कृषि निवासी ग्राम खैरा तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0
11. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर जिला अशोकनगर म0प्र0

..... प्रतिवादीगण

// निर्णय //

:: आज दिनांक 22.11.2017 को पारित ::

- 01— यह वाद ग्राम गोधन तहसील चंदेरी स्थित भूमि सर्वे क्र0 614 रकबा 0.690 हैक्टेयर, सर्वे क्र0 641 रकबा 0.105 हैक्टेयर, सर्वे क्र0 642 रकबा 0.314 हैक्टेयर, सर्वे 669/7 रकबा 0.418 हैक्टेयर, सर्वे क्र0 669/1/18 रकबा 0.418 हैक्टेयर, सर्वे क्र0 669/1/22 रकबा 0.418 हैक्टेयर, सर्वे क्र0 666 रकबा 0.209 हैक्टेयर, सर्वे क्र0 669/1/3 रकबा 1.672 हैक्टेयर में से 1/4 अर्थात् रकबा 0.418 हैक्टेयर, सर्वे क्र0 635/1/1 रकबा 0.893 हैक्टेयर में से रकबा 0.113 हैक्टेयर एवं ग्राम खैरा तहसील चंदेरी स्थित भूमि सर्वे क्र0 255 रकबा 0.052 हैक्टेयर सर्वे क्र0 272 रकबा 0.272 हैक्टेयर सर्वे क्र0 276 रकबा 0.052 हैक्टेयर कुल किता तीन एवं रकबा 0.376 हैक्टेयर में से 1/2 अर्थात् 0.188 हैक्टेयर, सर्वे क्र0 249 रकबा 0.355 हैक्टेयर में से रकबा 0.071 हैक्टेयर भूमि, जिसे निर्णय के आगे चरणों में विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया जा रहा है, के 2/7 भाग पर वादी का एवं 1/7-1/7 भाग पर प्रतिवादी क्र0 4 लगायत 8 प्रत्येक स्वत्व घोषित किये जाने के साथ वादी तथा प्रतिवादी क्र0 4 लगायत 8 का भूमि स्वामी के रूप में राजस्व अभिलेखों में उक्त भाग पर इंड्राज कराने का अधिकार घोषित किये जाने के साथ तहसीलदार चंदेरी के प्रकरण क्र0 11अ6/04-05 में पारित आदेश दिनांक 30.01.2006 एवं नायब तहसीलदार चंदेरी के प्रकरण क्रमांक 51अ6/09-10 में पारित आदेश दिनांक 30.09.2010 विधि विरुद्ध होने से शून्य ँ घोषित किये जाने एवं प्रतिवादी क्र0 1 के द्वारा प्रतिवादी क्र0 2 के पक्ष में निष्पादित विक्रयपत्र दिनांक 11.07.2011 को वादी के हितों के मुकाबले शून्य घोषित किये जाने एवं निरपत्त का प्रतिवादी क्र0 1 के पक्ष में कथित वसीयतनामा दिनांक 20.10.2007 विधि विरुद्ध एवं अवैधानिक घोषित किये जाने की सहायता प्राप्त करने बाबत प्रस्तुत किया गया है।

- 02— दावा संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम गोधन स्थित विवादित भूमि सर्वे क्र० 614, 641, 642, 669/7 कुल रकबा 1.527 हैक्टेयर राजस्व अभिलेखों में वादी के पति हरनाम एवं ससुर निरपत के स्वत्व पर बराबर भाग में अंकित है तथा सर्वे क्र० 669/1/18 रकबा 0.418 हैक्टेयर 669/1/22 रकबा 0.418 हैक्टेयर एवं 669/1/3 रकबा 0.418 हैक्टेयर अकेले वादी के ससुर निरपत के स्वत्व पर राजस्व अभिलेखों पर अंकित है एवं सर्वे क्र० 666 रकबा 0.209 हैक्टेयर एवं सर्वे क्र० 635/1/1 रकबा 0.893 में से 0.113 हैक्टेयर अकेले वादी के पति हरनाम के स्वत्व पर राजस्व अभिलेखों में अंकित है। वहीं ग्राम खैरा स्थित विवादित भूमि सर्वे क्र० 255, 272, 276 के कुल रकबा 0.376 हैक्टेयर में से 1/2, 0.188 हैक्टेयर एवं सर्वे क्र० 249 रकबा 0.355 हैक्टेयर में से रकबा 0.71 हैक्टेयर वादी के ससुर निरपत के स्वत्व पर राजस्व अभिलेखों में अंकित है।
- 03— वादी के मात्र पांच पुत्रियां हैं, तथा कोई पुत्र नहीं है, वादी के पति हरनाम सिंह की मृत्यु दिनांक 21.09.2003 को हो गई थी। पति की मृत्यु के पश्चात् वादी के ससुर निरपत ने हरनाम व अपनी सभी विवादित संपत्तियों का आपसी बाहमी विभाजन मौखिक रूप से कर लिया था। जिसमें वादी की पुत्रियों सहित वादी एवं उसके ससुर प्रत्येक को विवादित भूमियों में हरनाम व निरपत के स्वत्व के कुल रकबा का 1/7 अंश प्राप्त हुआ था। वादी के अनुसार निरपत ने अपने 1/7 अंश वादी को दे दिया था तथा प्रतिवादी क्र० 4, 5, 7 व 8 जो कि वादी की पुत्रियां हैं, ने भी अपना-अपना अंश वादी को दे दिया था तथा प्रतिवादी क्र० 6 जो कि वादी की पुत्री हैं, ने अपना 1/7 अंश ले लिया था।
- 04— अतः उपरोक्त आधार पर वादी विवादित भूमियों में आपसी बाहमी पारिवारिक विभाजन के अनुसार 6/7 अंश काबिज होकर कास्त कर रही है वही प्रतिवादी क्र० 6, 1/7 अंश पर काबिज है। प्रतिवादी क्र० 1 व 6 लालजी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं तथा विवादित भूमियों को हड़पना चाहते हैं। प्रतिवादी क्र० 1 ने निरपत के नाम का एक फर्जी कूट रचित, बिना नोटरी किये हुये एवं अपंजीकृत वसीयतनामा तैयार कर लिया था और वसीयतनामा के आधार पर चोरी छुपे राजस्व अधिकारियों से मिलकर विवादित भूमि सर्वे क्र० 669/1/22 रकबा 0.418 हैक्टेयर भूमि पर नायब तहसीलदार चंदेरी के न्यायालय से प्रकरण क्र० 51अ6/09-10 में दिनांक 30.09.2010 को आदेश पारित कराकर स्वयं का नामांतरण करा लिया तथा उक्त भूमि दिनांक 11.07.2011 को प्रतिवादी क्र० 2 को पंजीकृत विक्रयपत्र के माध्यम से विक्रय कर दी, जिससे प्रतिवादी क्र० 1 व 2 को उक्त विवादित भूमि में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। जब वादियां के द्वारा निरपत के पुराने कागजात अपने अधिवक्ता के माध्यम से निकाले गये तो उसे जानकारी हुई कि प्रकरण क्र० 11अ6/04-05 में पारित आदेश दिनांक 30.01.2006 के द्वारा प्रतिवादी क्र० 1 ने

वादी की अज्ञानता का लाभ उठाकर हरनाम के नाम पर प्रतिवादी क्र० 6, 7 व 8 का नामांतरण उनके हिस्से से अधिक भूमि पर करा लिया है, जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं था।

- 05— वादी को वाद कारण दिनांक 30.09.2010 को प्रतिवादी क्र० 1 द्वारा फर्जी नामांतरण कराने एवं दिनांक 11.07.2011 को विक्रयपत्र का पंजीयन होने एवं दिनांक 15.06.2012 को वादियां को उपरोक्त जानकारी लगने से उत्पन्न हुआ। विवादित भूमियां तहसील चंदेरी में होने से इस न्यायालय को श्रवण एवं विचारण का क्षेत्राधिकार है अतः यह वाद निर्णय के चरण क्र० 1 में वर्णित सहायता प्राप्त करने बाबत वाद का मूल्यांकन 2,000/— रुपये पर करके कुल 570/— रुपये न्यायशुल्क साथ प्रस्तुत किया है।
- 06— प्रतिवादी क्र० 1 व 6 ने अपने अभिवचनों में दावे के अनुसार विवादित भूमियों में पूर्व में निरपत व हरनाम के स्वत्व को स्वीकार किया है, परन्तु प्रतिवादीगण का कहना है कि वर्तमान में विवादित भूमियां निरपत व हरनाम के स्वत्व पर राजस्व अभिलेखों में अंकित नहीं है। प्रतिवादीगण के अनुसार निरपत ने अपने जीवन काल में अपने भूमियों का कभी कोई मौखिक विभाजन नहीं किया। बल्कि निरपत ने अपने जीवनकाल में ही अपनी भूमियों को विक्रय एवं वसीयत कर दी। प्रतिवादीगण के अनुसार निरपत के द्वारा दिनांक 20.10.2007 को किये गये वसीयतनामों के आधार पर वादी की सहमति से नायब तहसीलदार चंदेरी के प्रकरण क्र० 51अ6/09—10 के आदेश दिनांक 30.09.2010 के द्वारा भूमि सर्वे क्रमांक 669/1 रकबा 0.418 हैक्टेयर पर प्रतिवादी क्र० 1 का नामांतरण स्वीकार हुआ। जिसके बाद प्रतिवादी क्र० 1 ने उक्त भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से दिनांक 11.07.2011 को प्रतिवादी क्र० 2 को विक्रय कर उक्त भूमि का अधिपत्य सौंप दिया।
- 07— प्रतिवादीगण के अनुसार निरपत ने ग्राम गोधन स्थित भूमि सर्वे क्र० 614 रकबा 0.690 हैक्टेयर में से 0.209 हैक्टेयर भूमि 39,800/— रुपये प्रतिफल राशि में दिनांक 23.01.2006 को प्रतिवादी क्र० 1 को विक्रय कर अधिपत्य दिया था तथा उक्त दिनांक को ही निरपत ने ग्राम खैरा की विवादित भूमि सर्वे क्र० 255, 272, 276, 249 कुल रकबा 0.731 हैक्टेयर में से 0.209 हैक्टेयर भूमि 20,000/— रुपये में विक्रय कर प्रतिवादी क्र० 1 को अधिपत्य सौंपा था, जिसके आधार पर उक्त भूमियों पर प्रतिवादी क्र० 1 का नाम राजस्व अभिलेख में अंकित हुआ तथा ग्राम गोधन की विवादित भूमियों पर तहसील चंदेरी के प्रकरण क्र० 11अ6/04—05 में पारित आदेश दिनांक 30.01.2006 के द्वारा प्रतिवादी क्र० 6 का नामांतरण भी वादी की सहमति से हुआ था। निरपत ने दिनांक 06.08.2007 को ग्राम खैरा के दो मकान 27,000/— रुपये में पंजीकृत विक्रयपत्र के माध्यम से प्रतिवादी क्र० 6 को विक्रय

कर अधिपत्य सौंप दिया था। प्रतिवादी क्रं 6 हरनाम की पुत्री होकर उत्तराधिकारी है।

- 08— अतः विक्रय एवं वसीयत के पश्चात् शेष बची संपत्तियों में वह बराबर हिस्से की स्वामी भी है। निरपत द्वारा निष्पादित किया गया, वसीयतनामा एवं विक्रयपत्र पूर्ण रूप से वैधानिक है वादी को नामांतरण को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी क्रं 1 विक्रित भूमि का वैधानिक स्वामी था तथा उक्त विक्रय को चुनौती देने को वादी को कोई अधिकार नहीं है, प्रकरण क्रं 11ए6/04-05 में वादी स्वयं पक्षकार रही है तथा उसकी सहमति एवं उपस्थिति में ही उक्त प्रकरण में दिनांक 30.01.2006 को आदेश पारित हुआ। वादी को प्रतिवादीगण के विरुद्ध कोई वाद कारण उत्पन्न हुआ। वादी ने वाद का मूल्यांकन कम कर कम न्यायशुल्क अदा किया है तथा वाद अवधि बाधित है, जिसके आधार पर वाद सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया।
- 09— प्रतिवादी क्रं 2 व 3 की ओर से जबाव दावा संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमि सर्वे क्रं 669/1/22 रकबा 0.418 हैक्टेयर राजस्व अभिलेख में निरपत पुत्र जयसिंह के स्वामित्व एवं आधिपत्य पर दर्ज की थीं, जिसकी वसीयत करने का निरपत को पूर्ण अधिकार था। निरपत ने मरने से पूर्व अपनी चल-अचल संपत्ति की विधिवत् वसीयतनामा के प्रतिवादी क्रं 1 राजेश के पक्ष में निष्पादित किया था, जिसके आधार पर विधिवत् नामांतरण भी स्वीकार हुआ है, जिसके विरुद्ध वादी ने कोई अपील नहीं की। प्रतिवादी क्रं 2 ने उक्त भूमि 1,10,400/— रुपये प्रतिफल राशि में दिनांक 11.07.2011 को पंजीकृत विक्रयपत्र के माध्यम से प्रतिवादी क्रं 1 प्रतिवादी क्रं 1 राजेश से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था तथा वह अपने पति प्रतिवादी क्रं 3 से उक्त भूमि पर खेती करा रही है।
- 10— प्रतिवादी क्रं 2 द्वारा क्रय की गई भूमि वादी तथा उसके पति के स्वत्व की नहीं थीं। निरपत की भूमियों का कोई वाहमी विभाजन नहीं हुआ, निरपत ने वादिया को कोई हिस्सा नहीं दिया। प्रतिवादी क्रं 2 की जमीन हड़पने के उद्देश्य से अन्य प्रतिवादीगण को अपने साथ मिलाकर यह झूठा दावा प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी क्रं 4 वादियां तथा हरनाम सिंह की पुत्री है तथा उसका 1/7 अंश पर विवादित भूमियों में अधिकार है। वादियां को निरपत के द्वारा की गई वसीयत एवं नामांतरण की पूरी जानकारी थी निरपत की मृत्यु के पश्चात पांच साल यह झूठा दावा वादियां ने बिना मध्यप्रदेश शासन को सूचना दिये प्रस्तुत किया है तथा प्रतिवादी क्रं 3 को अकारण पक्षकार बनाया। वादियां के द्वारा विक्रय मूल्य 1,10,400/— रु० पर न्यायशुल्क अदा नहीं किया गया। अतः उक्त आधार पर दावा निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

- 11— प्रतिवादी क्र० 4, 5, 7 व 8 की ओर से दावे का जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया। वही प्रतिवादी क्र० 9, 10, 11 वाद तामील प्रकरण में उपस्थित नहीं हुये, जिससे उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।
- 12— प्रकरण में प्रकरण में मेरे पूर्व अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वादप्रश्न निर्धारित किये गये हैं। जिनके समक्ष उन पर मेरे द्वारा दिये गये निष्कर्ष अंकित हैं:—

क्रमांक	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या वादी ग्राम गोधन व ग्राम खैरा तहसील चंदेरी में स्थित वादपत्र के पद क्र० 1 एवं 2 में वर्णित भूमियों जो कि स्व० निरपत लोधी व स्व० हरनाम लोधी के भूमि स्वामी स्वत्व की भूमियां हैं, में हिस्सा 2/7 (स्वयं का एवं अपने ससुर स्व निरपत का) एवं प्रतिवादी क्र० 4 लगायत 8 प्रत्येक हिस्सा 1-7 भूमि प्राप्त करने के अधिकारी है ?	आंशिक प्रमाणित है
2.	क्या वादी वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी है ?	आंशिक प्रमाणित है
3.	क्या प्रतिवादी क्र० 1 ने वसीयतनामा दिनांक 20.10.2007 निरपत के नाम, फर्जी एवं कूटरचित तैयार किया है, जो विधि विरुद्ध होने से शून्य घोषित किये जाने योग्य है ?	प्रमाणित है
4.	क्या तहसीलदार चंदेरी का नामांतरण आदेश दिनांक 30.01.2006 व नायब तहसीलदार चंदेरी का आदेश दिनांक 30.09.2010 विधि विरुद्ध होकर शून्य घोषित किये जाने योग्य है ?	आंशिक प्रमाणित है
5.	क्या प्रतिवादी क्र० 1 द्वारा प्रतिवादी क्र० 2 के पक्ष में निष्पादित किया गया विक्रयपत्र दिनांक 11.07.11 वादी के मुकाबले शून्य व निष्प्रभावी है ?	प्रमाणित है

6.	क्या वादी का दावा अवधि बाधित है ?	प्रमाणित नहीं
7.	क्या वादी ने प्रस्तुत वाद उचित मूल्यांकन कर उस पर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया है ?	प्रमाणित है
8.	क्या प्रस्तुत वाद में कुसंयोजन का दोष है ?	प्रमाणित नहीं
9.	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की कंडिका 51 के अनुसार प्रदाय की गई।

—सकारण निष्कर्षः—

विचारणीय वाद प्रश्न क्रमांक— 3, 4 व 5 का विवेचन एवं निष्कर्षः—

- 13— सुविधा की दृष्टि से एवं प्रकरण में आई साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों का विवेचन पहले किया जा रहा है। प्रकरण में वादी के अभिवचनों में उसके द्वारा दो ग्राम की भूमि, ग्राम गोधन एवं ग्राम खैरा तहसील चंदेरी की भूमियों को विवादित बताया गया है तथा वादी के अनुसार ग्राम खैरा कि सभी विवादित भूमियां उसके ससुर निरपत के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज रही है। वहीं ग्राम गोधन स्थित भूमि सर्वे क्र0 614, 641, 642 वादी के पति हरनाम व निरपत के नाम बराबर 1/2—1/2 भाग के रूप में दर्ज थीं तथा सर्वे क्र0 669/7, 669/1/18, 669/1/22, 669/1/3 वादी के ससुर निरपत के एक मात्र भूमि स्वामी स्वत्व पर थीं, वहीं सर्वे 666 एवं 635/1/1 वादी के पति हरनाम के एक मात्र भूमि स्वामी स्वत्व पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी तथा ग्राम खैरा की विवादित भूमियां सर्वे 255, 272, 276 व 249 अकेले वादी के ससुर के निरपत के नाम राजस्व अभिलेखों में भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज थी।
- 14— विवादित भूमिया उपरोक्त अनुसार वादी के पति हरनाम एवं ससुर निरपत के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी इस तथ्य को स्वयं प्रतिवादीगण की ओर से भी अपने अभिवचनों में कोई चुनौती नहीं दी गई। वादीगण की ओर से प्रकरण में उपरोक्त भूमियों के संबंध में प्रस्तुत राजस्व खसरा संबत् 2061—65 की सत्यप्रतिलिपियां प्रदर्श—पी—1 लगायत 12 एवं खसरा सन् 2011—12 की सत्यप्रतिलिपियां प्रदर्श—पी—13 व 14 एवं प्रदर्श—पी—16 लगायत 20 से यह स्पष्ट होता है कि विवादित भूमियां उपरोक्त अनुसार संबत् 2061—65 से सन् 2011—12 तक राजस्व अभिलेखों वादी के पति हरनाम व ससुर निरपत के नाम उपरोक्त अनुसार ही

राजस्व अभिलेखों में दर्ज रही है तथा उक्त दस्तावेजों की सत्यता एवं उसमें हरनाम व निरपत के नामों की प्रविष्टि को प्रतिवादीगण की ओर से कोई चुनौती नहीं दी गई है।

- 15— अतः प्रकरण में यह निर्विवादित है कि प्रकरण में विवादित भूमि स्थित ग्राम गोधन एवं ग्राम खैरा निर्णय के चरण क्र० 7 के अनुसार वादी के पिता हरनाम एवं ससुर निरपत के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज थीं। वादी ललीबाई (वा०सा०—1) अपने अभिवचनों में यह स्पष्ट किया है कि उसके पति हरनाम की मृत्यु उसके ससुर निरपत के जीवन काल में दिनांक 21.09.2003 को हो गई थी तथा इसके पश्चात् निरपत की मृत्यु दिनांक 25.10.2007 को हुई थी, इस बात की पुष्टि ललीबाई (वा०सा०—1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में कण्डिका 5 में भी की है, जिसमें वादी ने स्पष्ट रूप से कथन दिये हैं कि उसकी पति की मृत्यु उसके ससुर से पहले हो गई थी। राजेश (प्र०सा०—3) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 8 में इस बात की पुष्टि की है। अतः प्रकरण में प्रस्तुत अभिवचन एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य के आधार पर यह भी विवादित नहीं है कि निरपत की मृत्यु हरनाम की मृत्यु के बाद हुई थी।
- 16— ललीबाई (वा०सा०—1) का अपने अभिवचनों के समर्थन में अपने सशपथ कथनों में कहना है कि उसके ससुर निरपत ने आपसी वाहमी विभाजन कर संपूर्ण भूमियों के साथ हिस्से कर दिये थे तथा निरपत ने अपने हिस्से की भूमि उसे दे दी थी तथा उसकी पुत्री हरेश कुमारी, शशि, रानी एवं कुंवरवती ने भी अपने हिस्से की भूमि उसे दे दी थी, जिससे उसका संपूर्ण विवादित भूमियों पर हिस्सा 6/7 हो गया था और इसी अनुसार उसका वर्तमान में भी उक्त भूमियों पर कब्जा है। ललीबाई (वा०सा०—1) के उपरोक्त कथनों के समर्थन में वादी साक्षी लोकपाल (वा०सा०—2) ने भी न्यायालय में कथन दिये हैं।
- 17— ललीबाई (वा०सा०—1) अपने अभिवचनों में एवं कथनों में अपने पति हरनाम की मृत्यु के बाद ससुर निरपत के द्वारा हरनाम व स्वयं की संपत्तियों का बराबर सात भागों में मौखिक विभाजन किये जाने के संबंध में कथन देती है तथा ललीबाई (वा०सा०—1) के अनुसार निरपत ने स्वयं का हिस्सा व उसकी पांच पुत्रियों में से चार पुत्रियों के द्वारा अपना हिस्सा उसे प्रदान कर दिया था जिससे विवादित भूमियों में से उसका 6/7 अंश है तथा उसकी पुत्री प्रतिवादी क्र० 6 लक्ष्मी का 1/7 अंश है।

- 18— यह उल्लेखनीय है कि ललीबाई (वा0सा0-1) के उपरोक्त कथन किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से समर्थित नहीं है और न ही ऐसे कोई विभाजन के प्रविष्टि निरपत के जीवनकाल में या उसके बाद राजस्व अभिलेखों में हुई, बल्कि स्वयं वादी ललीबाई (वा0सा0-1) की ओर से प्रकरण में तहसील न्यायालय के प्रकरण 11अ6/04-05 में पारित आदेश दिनांक 30.01.06 को चुनौती दी गई है, जिसकी सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श-पी-21 वादी ने अपने समर्थन में प्रकरण में प्रस्तुत की हैं। लोकपालसिंह (वा0सा0-2) अपने प्रतिपरीक्षण में स्वयं यह स्वीकार किया है कि हरनाम की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसों द्वारा जमीन अपने नाम कराने के लिए तहसील में आवेदन लगाया गया था जिसमें निरपत ने आपत्ति लगाई थी। उक्त आदेश प्र0पी021 के अवलोकन से ही स्पष्ट होता है कि उक्त प्रकरण में स्वयं निरपत के द्वारा ही ग्राम गोधन की भूमियों पर हरनाम की मृत्यु के पश्चात उसके हिस्से की भूमि की नामांतरण कार्यवाही पर आपत्ति लगाई गई। यदि निरपत स्वयं ही आपत्तिकर्ता था, तो वह हरनाम की मृत्यु के पश्चात विवादित भूमियों पर मौखिक विभाजन कर अपने हिस्से की भूमि ललीबाई (वा0सा0-1) को देने के बाद ऐसी आपत्ति क्यों करेगा। अतः ऐसे में विवादित भूमियां निरपत के द्वारा अपने जीवन काल में मौखिक रूप से विभाजित की गई, यह साबित करने के लिये वादी के पास कोई ठोस आधार अभिलेख पर नहीं है।
- 19— ललीबाई (वा0सा0-1) के अनुसार उसकी चार पुत्रियों ने अपना अंश उसे दे दिया था, परन्तु यह साबित करने के लिये अभिलेख पर कोई विश्वसनीय साक्ष्य वादी की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई। प्रदर्श-पी-21 के आदेश के अनुसार उक्त प्रकरण में ललीबाई (वा0सा0-1) व उसके ससुर निरपत व बालिग पुत्री लक्ष्मी, शशि, हरेश कुमारी के मध्य राजीनामा हुआ था तथा उक्त राजीनामा कार्यवाही संबंधित तहसीलदार के द्वारा प्रदर्श-पी-21 के आदेश में भी उल्लेखित की गई जिसमें ग्राम गोधन में हरनाम के हिस्से की भूमियों पर वादी की पुत्री शशि व हरेश कुमारी ने अपना हिस्सा प्रतिवादी क्र0 6 लक्ष्मी के पक्ष में छोड़ा वहीं वादी ललीबाई (वा0सा0-1) ने अपने हिस्से की भूमि अपनी नाबालिग पुत्री रानी व कुंवरवती बाई के पक्ष में छोड़ी तथा उनका संरक्षण निरपत को सौंपा था।
- 20— अतः उपरोक्त समझौते अनुसार स्वयं निरपत ने ग्राम गोधन की भूमियों पर कोई हरनाम की मृत्यु के पश्चात उसके हिस्से की भूमि उसे प्राप्त होने वाला अंश नहीं लिया, जिससे उपरोक्त राजीनामों के परिणामस्वरूप ग्राम गोधन की भूमि सर्वे क्रमांक 614 रकवा 0.690 हेक्टेयर, 641 रकवा 0.105 हेक्टेयर, 642 रकवा 0.314 हेक्टेयर सर्वे क्र. 666 रकवा 0.209 हेक्टेयर, सर्वे क्र. 635/1/1 में से रकवा 0.113 हेक्टेयर एवं सर्वे क्र. 643 रकवा 0.477 हेक्टेयर पर हरनाम के स्थान पर प्रतिवादी क्रमांक 6 लक्ष्मी का 1/2 अंश एवं प्रतिवादी क्रमांक 7 व 8 क्रमशः नाबालिग रानी व कुंवरवती बाई का संयुक्त रूप से 1/2 अंश पर नामांतरण

स्वीकार किये जाने पर सहमति हुई तथा तहसीलदार चंदेरी के प्रकरण क्र 11अ6/04-05 में पारित आदेश दिनांक 30.01.06 के द्वारा उपरोक्तानुसार नामांतरण स्वीकार किया गया।

- 21— ललीबाई (वा0सा0-1) अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 16 में उपरोक्त नामांतरण प्रकरणके प्रस्तुत किये गये राजीनामों की जानकारी होने से इंकार करती है जबकि ललीबाई (वा0सा0-1) व निरपत सहित शशि, हरेश कुमारी व लक्ष्मी के मध्य तहसील प्रकरण क्रमांक 11अ6/04-05 में हुआ उपरोक्त समझौता संबंधित तहसीलदार ने अभिलेख पर लेकर सभी पक्षकारों के सुने जाने के पश्चात् विधिवत् आदेश पारित किया है, जो कि उपरोक्त सभी पक्षकारों का बंधनकारी है तथा उसके उक्त समझौते के आधार पर एक लोकसेवक द्वारा आदेश पारित किये जाने के बाद उसके विपरीत कुछ भी कहने से समझौते के सभी पक्षकार विबंधित है। अतः ललीबाई (वा0सा0-1) का यह कहना से कि निरपत ने विवादित भूमियों का मौखिक विभाजन कर अपना हिस्सा उसे दे दिया था तथा उसकी चार पुत्रियों ने भी उसे अपना हिस्सा दे दिया था, प्रदर्श-पी-21 के आदेश के अनुसार विबंधित है तथा तहसीलदार के द्वारा प्रकरण क्रमांक 11अ6/04-05 में पारित आदेश दिनांक 30.01.2006 जिसकी सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श-पी-21 है, पूरी तरह से वैध आदेश है, जो वादी तथा प्रतिवादीगण पर बंधनकारी है।
- 22— ललीबाई (वा0सा0-1) का कहना है कि उसके दमाद प्रतिवादी क्र0 1 राजेश ने निरपत की मृत्यु के पश्चात् फर्जी वसीयतनामा बनवाकर 02 बीघा भूमि ग्राम पटवारी से मिलकर उस पर अपना नामांतरण करावा लिया, जबकि निरपत पहले ही प्रतिवादी क्र0 1 राजेश की पत्नी लक्ष्मी जो कि वादी की पुत्री हैं, को पहले ही उसका हिस्सा मौखिक बंटवारे के अनुसार दे चुका था। ललीबाई (वा0सा0-1) के अनुसार प्रतिवादी क्र0 1 के द्वारा उक्त दो बीघा भूमि पर अपना नामांतरण बिना वादी को सूचना दिये फर्जी वसीयतनामों के आधार पर करा लिया और उक्त नामांतरण के आधार पर दो बीघा भूमि प्रतिवादी क्र0 2 शांतिबाई को विक्रय कर दी है। प्रतिवादी क्र0 1 राजेश (प्र0सा0-3) का ललीबाई (वा0सा0-1) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों के विपरीत अपने सशपथ कथनों में कहना है कि निरपत ने उसे ग्राम खैरा कि संपूर्ण चल अचल संपत्तियों का वसीयतनामा कर दिया था तथा उक्त वसीयतनामा निरपत के कहने पर बाबूलाल ने साक्षी वीरन सिंह तथा रमेश के समक्ष किया था। जिस पर वीरन सिंह व रमेश ने साक्षी के तौर पर हस्ताक्षर किये थे, जिनमें साक्षी वीरन की मृत्यु हो चुकी है।
- 23— अतः ललीबाई (वा0सा0-1) व राजेश (प्र0सा0-3) की ओर से प्रस्तुत अभिवचन एवं दिये गये उपरोक्त कथनों से यह स्पष्ट होता है कि इन दोनों के मध्य मुख्य विवाद

निरपत का तथाकथित वसीयतनामा है, तथा उक्त वसीयतनामों के आधार पर राजेश (प्र0सा0-3) के द्वारा दो बीघा भूमि को अपने नाम पर नामांतरण करा कर उसे प्रतिवादी क्र0 2 शांतिबाई को विक्रय किया जाना है। यह उल्लेखनीय है कि राजेश (प्र0सा0-3) अपने अभिवचनों में एवं न्यायालय में दिये गये कथनों में ग्राम खैरा की भूमियों का निरपत के द्वारा उसके पक्ष में वसीयतनामा किया जाना तथा उक्त वसीयतनामों के आधार पर ग्राम खैरा की दो बीघा भूमि पर अपना नामांतरण करा कर उसे प्रतिवादी क्र0 2 को विक्रय किया जाना तो स्वीकार करता है, परन्तु ललीबाई (वा0सा0-1) के द्वारा मुख्य रूप से अपने अभिवचनों एवं कथनों में उक्त वसीयतनामा एवं वसीयतनामों के आधार पर हुआ नामांतरण व विक्रय को चुनौती दिये जाने के बाद एवं वसीयतनामों को फर्जी करार दिये जाने के बाद राजेश (प्र0सा0-3) की ओर से उक्त मूल वसीयतनामा प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि उक्त वसीयतनामों को प्रस्तुत कर उसे प्रमाणित करने का भार प्रतिवादी क्र0 1 पर था।

24— अतः प्रतिवादी क्र0 1 के अनुसार निरपत के द्वारा उसके पक्ष में ग्राम खैरा की भूमियों का निष्पादित किया गया तथाकथित वसीयतनामा, वादी के द्वारा चुनौती दिये जाने के बाद भी प्रस्तुत न किये जाने से प्रतिवादी क्र0 1 के विरुद्ध भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 (G) के तहत यह उपधारणा की जावेगी, यदि उक्त वसीयतनामा मूल रूप से प्रतिवादी क्र0 1 के द्वारा प्रस्तुत किया जाता, तो वह निश्चित रूप से साक्ष्य में उसके विरुद्ध पड़ा जाता। वादी की ओर से प्रकरण में उक्त विवादित वसीयतनामा की सत्यप्रतिलिपि जो कि तहसील न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 51अ6/09-10 में नामांतरण की कार्यवाही में प्रतिवादी क्र0 1 राजेश के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, प्रस्तुत की है। जिसके आधार पर प्रतिवादी क्र0 1 राजेश का उक्त उक्त प्रकरण में दिनांक 30.09.2010 को मात्र विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 669/1 में से रकबा 0.418 हैक्टेयर पर नामांतरण नायब तहसीलदार चंदेरी के द्वारा स्वीकार किया गया था। उक्त प्रकरण में पारित आदेश की एवं पटवारी के द्वारा दी गई रिपोर्ट की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श-पी-22 व 23 वादी की ओर से अपने समर्थन में प्रस्तुत की गई है तथा नामांतरण आदेश को ही वादी के द्वारा चुनौती दी गई है।

25— सर्वप्रथम तो यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी क्र0 1 के द्वारा अपने अभिवचनों के समर्थन में मूल वसीयतनामा प्रस्तुत कर प्रमाणित नहीं कराया गया। वही दूसरी ओर प्रस्तुत तथाकथित वसीयतनामा प्रदर्श-पी-28 की सत्यप्रतिलिपि को देखा जाये, तो स्वयं उस वसीयतनामों में इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं है कि ग्राम गोधन की भूमियों का वसीयतनामा निरपत के द्वारा प्रतिवादी क्र0 1 के पक्ष में लिखा गया। राजेश (प्र0सा0-3) का भी अपने कथनों में यह कहना है कि ग्राम खैरा की भूमियों का वसीयतनामा निरपत ने उसके पक्ष में लिखा था और

वसीयतनामा ग्राम खैरा की भूमियों का लिखा था, तो नायब तहसीलदार चंदेरी के द्वारा प्रकरण क्र० 51ए6/09-10 में पारित आदेश दिनांक 30.09.2010 के द्वारा उक्त वसीयतनामों के आधार पर ग्राम गोधन की विवादित भूमि सर्वे 669/1 रंकबा 0.418 हैक्टेयर पर प्रतिवादी क्र० 1 का नामांतरण कैसे स्वीकार कर लिया गया। जबकि ग्राम गोधन की भूमि का कोई वसीयतनामा ही स्वयं प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा नहीं हुआ।

- 26— राजेश (प्र०सा०-3) का कहना है कि ग्राम खैरा की भूमियों का वसीयतनामा निरपत ने उसके पक्ष में निष्पादित किया था। उक्त वसीयतनामा प्रदर्श-पी-28 पर निष्पादन दिनांक 20.10.2007 अंकित है तथा उक्त वसीयतनामों में ग्राम खैरा की भूमियों की वसीयत किये जाने का उल्लेख है। राजेश (प्र०सा०-3) के द्वारा मूल वसीयतनामा स्वयं प्रस्तुत नहीं किया गया, वहीं वसीयतनामा का साक्षी रमेश को तलब करने के उपरांत न्यायालय में उपस्थित होने के बाद वसीयतनामा प्रदर्श-पी-28 को प्रमाणित करने के लिये उसके कथन तक न्यायालय में नहीं कराये गये। बल्कि इसके विपरीत राजेश (प्र०सा०-3) के द्वारा अपने समर्थन में विक्रय पत्र दिनांक 23.01.2006 की रजिस्टार कार्यालय में संधारित की गई प्रति को प्रमाणित करने के लिये प्रभारी उप-पंजीयक चंदेरी ए० पी० लोधी (प्र०सा०-1) व उक्त विक्रय के दस्तावेज लेखक उदयनारायण (प्र०सा०-2) के कथन न्यायालय में कराये गये।
- 27— उक्त पंजीयक ए० पी० लोधी (प्र०सा०-1) के द्वारा अपने कथनों में मूल अभिलेख के अनुसार इस बात की पुष्टि की गई कि दिनांक 23.01.06 को निरपत ने ग्राम खैरा की विवादित भूमियों का पंजीकृत विक्रय प्रतिवादी क्र० 1 के पक्ष में 20000 रु० प्रतिफल राशि में किया था। जिसकी कार्यालयीन प्रति प्रदर्श-डी-1 से उक्त विक्रयपत्र की प्रति की छायाप्रति प्रदर्श-डी-1-सी मूल से मिलान के उपरांत प्रदर्शित की गई। उक्त दस्तावेज के लेखक उदयनारायण (प्र०सा०-2) ने भी प्रदर्श-डी-1 निरपत के द्वारा प्रतिवादी क्र० 1 राजेश के पक्ष में निष्पादित किये जाने की पुष्टि की है तथा अपने सामने निरपत के द्वारा प्रदर्श-डी-1 पर अंगूठा लगाये जाने व साक्षी दीपचंद व बालचंद के हस्ताक्षर होने की भी पुष्टि इस साक्षी ने की है।
- 28— प्रतिवादी क्र० 1 ने अपने अभिवचनों में एवं अपने कथनों में यह स्पष्ट रूप से कथन दिये हैं कि ग्राम खैरा की विवादित भूमियां निरपत के द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से उसे विक्रय की गई हैं जिसको वादी ने अपने अभिवचनों में एवं अपने कथनों में कोई चुनौती नहीं दी। अतः ऐसे में पंजीकृत विक्रयपत्र के द्वारा

ग्राम खैरा की भूमियों को निरपत के द्वारा प्रतिवादी क्र० 1 राजेश के पक्ष में किया जाना विवादित न होने से एवं उप-पंजीयक ए० पी० लोधी (प्र०सा०-1) व दस्तावेज लेखक उदयनारायण (प्र०सा०-2) के कथनों से उक्त विक्रय पत्र का पंजीयन, पंजीयन कार्यालय में होना एवं निरपत के बताये अनुसार उक्त दस्तावेज प्रदर्श-डी-1-सी का प्रतिवादी क्र० 1 राजेश के पक्ष में लिखा जाना प्रमाणित होता है। जिससे यह निर्विवादित एवं प्रमाणित है कि निरपत ने दिनांक 23.01.2006 को अपने नाम की ग्राम खैरा की विवादित भूमियों को पंजीकृत विक्रयपत्र प्रदर्श-डी-1-सी के माध्यम से प्रतिवादी क्र० 1 राजेश को विक्रय की थीं।

- 29— यह उल्लेखनीय है कि जब निरपत ने दिनांक 23.01.2006 को स्वयं ही ग्राम खैरा की सभी विवादित भूमियों का विक्रय पंजीयत विक्रय पत्र प्रदर्श-डी-1-सी के माध्यम से के प्रतिवादी क्र० 1 राजेश के पक्ष में कर दिया था, तो निरपत को या प्रतिवादी क्र० 1 राजेश को वसीयतनामा प्रदर्श-पी-28 जो कि ग्राम खैरा की ही विवादित भूमियों के संबंध में है, दिनांक 20.10.2007 को निष्पादित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि ग्राम खैरा की भूमियां विक्रय पत्र प्रदर्श-डी-1-सी के द्वारा पहले ही प्रतिवादी क्र० 1 राजेश के नाम पर अंतरित हो चुकी थीं।
- 30— प्रकरण मे प्रस्तुत प्र०पी० 28 का वसीयतनामा न तो नोटरी कराया गया है और न ही पंजीकृत है। प्रतिवादी क्र.1 राजेश (प्र०सा०-3) अपने प्रतिरीक्षण की कंडिका मे वसीयतनामा ग्राम गोधन की जमीन का लिखा होना बताता है जबकि प्र०पी०28 के वसीयतनामे मे ग्राम खैरा की जमीन का उल्लेख है। अतः प्रतिवादी क्र.1को स्वयं ही इस बात की जानकारी नहीं है कि उसके पक्ष मे वसीयतनामा किन भूमियों का लिखा गया। अतः अकारण प्रदर्श-पी-28 का वसीयतनामा लिखा जाना तथा उसका मूल प्रस्तुत न किया जाना एवं वसीयत के साक्षी के न्यायालय में उपस्थित होने के बाद उक्त वसीयतनामे को प्रमाणित करने का प्रयास न करके साक्षी को बिना परीक्षण किये छोड़ा जाना यह साबित करने के लिये पर्याप्त है कि प्रदर्श-पी-28 का वसीयतनामा उपरोक्त परिस्थितियों के अनुसार फर्जी हैं, जो कि निरपत के द्वारा प्रतिवादी क्र० 1 राजेश के पक्ष में निष्पादित किया जाना प्रमाणित नहीं है।
- 31— वसीयतनामा प्रदर्श-पी-28 उपरोक्त अनुसार फर्जी एवं सदिग्ध हैं, उक्त वसीयतनामे में ग्राम गोधन की भूमियों का उल्लेख न होने के बाद भी नायब तहसीलदार चंदेरी के द्वारा प्रदर्श-पी-22 के आदेश से बिना वैधानिक आधार के विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 669/1 रकबा 0.418 हैक्टेयर पर नामांतरण स्वीकार करना अपने आप में उक्त आदेश को विधि विरुद्ध एवं वादी के हितों के मुकाबले शून्य बनाता है और यदि उक्त प्रदर्श-पी-28 के वसीयतनामा एवं प्रदर्श-पी-22 के

नामांतरण आदेश से वादी को विवादित भूमि सर्वे क्र० 669/1 रकबा 0.418 हैक्टेयर पर कोई अधिकार ही उत्पन्न नहीं हुये तो बिना अधिकार के उक्त भूमि का प्रतिवादी क्र० 1 राजेश के द्वारा शांतिबाई (प्र०सा०-7) के पक्ष में किया गया विक्रयपत्र प्रदर्श-डी-2 स्वयं ही वादी के हितों के मुकाबले शून्य एवं निष्प्रभावी हो जाता है।

32— प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 की ओर से अपने समर्थन में स्वयं प्रतिवादी क्र० 2 शांतिबाई (प्र०सा०-7) व उसके पति बलवीर (प्र०सा०-4) सहित विक्रय पत्र प्रदर्श-डी-2 के साक्षी हरदयाल (प्र०सा०-5) एवं चद्रभान (प्र०सा०-6) के कथन न्यायालय में कराये गये। जिसमें शांतिबाई (प्र०सा०-7) का अपने कथनों में कहना है कि उसने 1,10,000/- रु० प्रतिवादी क्र० 1 राजेश को प्रतिफल राशि के रूप में दिये थे, इस साक्षी का कहना है कि विक्रयपत्र की कार्यवाही उसके पति बलवीर (प्र०सा०-4) ने की थीं तथा बलवीर (प्र०सा०-4) ने प्रतिवादी क्र० 1 राजेश के द्वारा उसकी पत्नी के पक्ष में विक्रयपत्र दिनांक 11.07.2011 भूमि सर्वे क्र 669/1/22 रकबा 0.418 हैक्टेयर निष्पादित किये जाने की पुष्टि की है। बलवीर (प्र०सा०-4) व विक्रयपत्र के साक्षी हरदयाल (प्र०सा०-5) चद्रभान (प्र०सा०-6) का यह कहना है कि प्रतिवादी क्र० 1 राजेश ने वसीयतनामा उसके पक्ष में होने का कहकर प्रदर्श-डी-2 की रजिस्ट्री की थीं तथा बलवीर (प्र०सा०-4) अपने प्रतिपरीक्षण में कण्डिका 9 में स्वयं यह कहना है कि प्रतिवादी क्र० 1 राजेश ने उसके साथ धोखाधड़ी की है तथा यह तय हुआ था कि यदि रजिस्ट्री कैंसिल हो गई तो वह पैसे वापस देगा।

33— अतः बलवीर (प्र०सा०-4) के उपरोक्त कथनों से यह स्पष्ट होता है कि प्रदर्श-डी-2 की रजिस्ट्री से पूर्व ही प्रतिवादी क्र० 1 राजेश को यह अनुमान था, कि रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है जो यह दर्शित करता है कि प्रतिवादी क्र० 1 राजेश यह जानकारी रखता था कि उसे सर्वे क्रमांक 669/1 रकबा 0.418 हैक्टेयर की भूमि विक्रय करने का अधिकार नहीं था। राजेश (प्र०सा०-3) के द्वारा फर्जी वसीयतनामा निष्पादित कर अपना नामांतरण राजस्व अभिलेख में कराकर सर्वे क्रमांक 669/1 रकबा 0.418 की भूमि प्रतिवादी क्र० 2 को विक्रय कर धोखाधड़ी की गई यह अभिलेख पर आई साक्ष्य से दर्शित होता है और तथ्य की पुष्टि इसी बात से होती है कि ग्राम खैरा की भूमियों का पंजीकृत विक्रयपत्र उसके पक्ष में होने के बाद भी नामांतरण के लिये उसने वसीयतनामा प्रदर्श-पी-28 का उपयोग ग्राम खैरा की किसी भूमि पर अपना नामांतरण कराने का न करके ग्राम गोधन की एक मात्र भूमि सर्वे क्रमांक 669/1 रकबा 0.418 पर नामांतरण करने के लिये कार्यवाही की और राजस्व न्यायालय को गुमराह करके अपने पक्ष में नामांतरण

कराकर उक्त नामांतरण के आधार पर प्रतिवादी क्र० 2 के पक्ष में बिना किसी अधिकार के प्रदर्श-डी-2 का विक्रयपत्र निष्पादित कर दिया। अतः उक्त प्रदर्श-पी-28 के वसीयतनामा एवं नामांतरण आदेश प्रदर्श-पी-22 से ग्राम गोधन की सर्वे क्रमांक 669/1 रकबा 0.418 पर प्रतिवादी क्र० 1 राजेश को कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे और न ही प्रतिवादी क्र० 1 राजेश के द्वारा उक्त सर्वे क्रमांक 669/1 रकबा 0.418 प्रदर्श-डी-2 के माध्यम से प्रतिवादी क्र० 2 का विक्रय किये जाने पर उक्त भूमि में प्रतिवादी क्र० 2 को कोई अधिकार प्राप्त होते हैं।

34— फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि प्रतिवादी क्र० 1 ने वसीयतनामा दिनांक 20.10.2007 निरपत के नाम पर फर्जी एवं कूटरचित तैयार किया है जो विधि विरुद्ध होने से शून्य घोषित किये जाने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि वसीयतनामा दिनांक 20.10.2007 के आधार पर तहसीलदार चंदेरी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2010 भी विधि विरुद्ध होकर शून्य घोषित किये जाने योग्य है तथा उक्त नामांतरण के आधार पर प्रतिवादी क्र० 2 के पक्ष में निष्पादित किया गया विक्रयपत्र दिनांक 11.07.11 वादी के हितों के मुकाबले शून्य एवं निष्प्रभावी है, परन्तु अभिलेख पर आई साक्ष्य के आधार पर तहसील न्यायालय के प्रकरण क्र० 11अ6/04-05 में पारित आदेश दिनांक 30.01.06 पूरी तरह से विधि सम्यक एवं वैध आदेश होना प्रमाणित होता है जो पक्षकारों पर बंधनकारी है।

35— अतः वाद प्रश्न क्रमांक 3 व 5 प्रमाणित होने से उसका निष्कर्ष सकारात्मक दिया जाता है। वहीं वाद प्रश्न क्रमांक 4 आंशिक रूप से तहसील न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 51अ6/09-10 में पारित आदेश दिनांक 30.09.2010 के संबंध में प्रमाणित होता है।

विचारणीय वाद प्रश्न क्रमांक-1 व 2 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

36— ललीबाई (वा०सा०-1) के द्वारा ग्राम गोधन व ग्राम खैरा स्थित विवादित भूमियों में अपने पति हरनाम व ससुर निरपत की मृत्यु के पश्चात् अपना भूमि स्वामी स्वत्व उपरोक्त विवादित भूमि में 2/7 अंश भाग पर घोषित किये जाने की सहायता इस आधार पर चाही है कि हरनाम की मृत्यु के पश्चात् उसके ससुर ने उसकी पाँच पुत्रियों तथा उसके व स्वयं के बीच विवादित भूमियों का मौखिक विभाजन

कर दिया था जिसमें प्रत्येक को 1/7 अंश भाग प्राप्त हुआ था और चूँकि उसके ससुर निरपत ने अपना अंश भाग स्वयं वादी को दे दिया था इसलिये वादी का अंश 2/7 विवादित भूमि में हो जाता है तथा शेष हिस्से दारों का 1/7 अंश हो जाता है तथा वादी के अनुसार उसकी पाँच पुत्रियों में से प्रतिवादी क्रमांक 4, 5, 7 व 8 ने भी अपना अंश वाद को दे दिया था इसलिये वादी का अंश उक्त आधार पर 6/7 हो जाता है।

- 37— प्रकरण में इस संबंध में कोई विवाद की स्थिति नहीं है कि निर्णय के चरण क्रमांक 13 के अनुसार ग्राम खैरा व ग्राम गोधन की भूमि वादी के पति हरनाम व ससुर निरपत के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज रहीं। संवत् 2061-2065 एवं सन् 2011-2012 के राजस्व खसरो की सत्यप्रतिलिपि से जो वादी की ओर से प्रस्तुत की गई थी उससे स्पष्ट होता है। उपरोक्त विवेचन से यह प्रमाणित होता है कि ग्राम खैरा की विवादित भूमियां अकेले निरपत के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी जो कि निरपत के द्वारा दिनांक 23.01.2006 को पंजीकृत विक्रय पत्र प्रदर्श डी 1 सी के माध्यम से प्रतिवादी क्र० 1 राजेश को विक्रय की गई। प्रदर्श पी 28 का वसीयतनामा उपरोक्त विवेचन के आधार पर फर्जी होना प्रमाणित होता है कि जिससे स्पष्ट है कि निरपत की मृत्यु निर्वसयती हुई थी। अतः ग्राम खैरा की भूमियां प्रदर्श डी 1 सी के माध्यम से प्रतिवादी क्र० 1 राजेश को विक्रय करने के पश्चात् उक्त ग्राम खैरा की विवादित भूमियों में वादी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं।
- 38— ग्राम गोधन की विवादित भूमियों में से सर्वे क्रमांक 614 रक्बा 0.609 हैक्टेयर में से 0.209 हैक्टेयर भूमि के संबंध में प्रतिवादी क्रमांक 1 व 6 का अपने अभिवचनों की कण्डिका 15 में यह कहना है कि उपरोक्त विवादित भूमि दिनांक 23.01.2006 को 39800/- रुपये प्रतिफल राशि में निरपत ने प्रतिवादी क्र० 1 राजेश को विक्रय कर दी थी, परन्तु उक्त अभिवचनों के समर्थन में प्रतिवादी क्र० 1 राजेश की ओर से उक्त विक्रय को प्रमाणित करने के लिये न तो अपने मुख्य परीक्षण में कोई कथन दिये गये हैं और न ही उक्त विक्रय का प्रमाण पंजीकृत विक्रय पत्र भी अभिलेख में प्रस्तुत किया गया। अतः ऐसे में मात्र राजेश (प्र०सा०-3) का अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 10 में यह कहना है कि निरपत ने उसके पक्ष में ग्राम गोधन की एक बीघा भूमि की रजिस्ट्री की थी। उक्त भूमि का विक्रय एवं उसके आधार पर उक्त भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 1 राजेश का स्वामित्व व अधिपत्य साबित करने के लिये पर्याप्त नहीं है। अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि निरपत ने अपने जीवन काल में ग्राम गोधन के सर्वे क्रमांक 614 रक्बा 0.609 हैक्टेयर में से अपना अंश रक्बा 0.209 हैक्टेयर भूमि

प्रतिवादी क्रमांक 1 को विक्रय की थी।

- 39— ललीबाई (वा0सा0-1) की ओर से तहसीलदार चंदेरी के प्रकरण क्रमांक 11अ6/04-05 में पारित आदेश दिनांक 30.01.2006 की जिसकी सत्य प्रतिलिपि प्रदर्श पी 21 प्रकरण में प्रस्तुत की गई है, को चुनौती दी है परन्तु उपरोक्त विवेचन एवं दिये गये निष्कर्ष के आधार पर तहसीलदार चंदेरी के द्वारा उक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 30.01.2006 पूरी तरह वैध आदेश होना प्रमाणित है जो वादी तथा प्रतिवादीगण पर बंधनकारी है। उक्त आदेश हरनाम की मृत्यु के पश्चात् ग्राम गोधन स्थिति विवादित भूमियों में हरनाम के हिस्से को लेकर पारित किया गया था, जिसके अनुसार वादी के द्वारा नाबालिक रानी व कौरवती के पक्ष में अपना हिस्सा छोड़ने एवं हरेशकुमारी व शशी के द्वारा लक्ष्मी के पक्ष में अपना हिस्सा राजीनामा के आधार पर दिये जाने के बाद हरनाम के हिस्से के भूमि में उक्त आदेश के बाद वादी ललीबाई (वा0सा0-1) को कोई अधिकार शेष नहीं बचते है।
- 40— अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर ग्राम गोधन स्थिति विवादित भूमियों में हरनाम के हिस्से की भूमि पर तहसीलदार चंदेरी के आदेश दिनांक 30.01.2006 के पश्चात् जहाँ वादी हरनाम के हिस्से की भूमि में अपना अंश प्राप्त करने से विवंधित है वहीं ग्राम खैरा की भूमि निरपत के द्वारा अपने जीवनकाल में प्रतिवादी क्रमांक 1 को विक्रय की जाने के पश्चात् उक्त भूमि पर भी वादी को कोई अधिकार वर्तमान में नहीं है। इसके पश्चात् मात्र निरपत के हिस्से की ग्राम गोधन स्थित विवादित भूमियां शेष बचती है जिनके संबंध में यह निधारित किया जाना है कि उक्त भूमियों में निरपत की मृत्यु के पश्चात् निरपत के हिस्से की भूमियों पर उत्तारधिकार के रूप में वादी को कितना अंश प्राप्त होगा। उपरोक्त ग्राम गोधन की विवादित भूमियों में से भूमि सर्वे 669/1/18 प्रदर्श पी 17 के खसरे के अनुसार निरपत को पटटे पर प्राप्त हुई भूमि थी जो कि अस्थानतणीय थी जिसमें निरपत की मृत्यु के पश्चात् किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है।
- 41— ग्राम गोधन की शेष बची भूमि सर्वे क्रमांक 614 रक्बा 0.690 हैक्टेयर सर्वे क्रमांक 641 रक्बा 0.05 हैक्टेअर एवं सर्वे क्रमांक 642 रक्बा 0.314 हैक्टेयर में निरपत का अंश 1/2 था और क्योंकि निरपत निरवसीयती मरा है इसलिये उत्तराधिकार में उसके हिस्से की भूमि में वादी तथा उसकी पौचों पुत्रियों को बराबर-बराबर भाग प्राप्त होगा। अर्थात् निरपत की उपरोक्त भूमियों में अंश 1/2 में वादी को उक्त 1/2 का 1/6 अंश = 1/12 अंश उत्तराधिकार में प्राप्त होगा।

- 42— ग्राम गोधन की भूमि सर्वे क्रमांक 669/7 रक्बा 0.418 हैक्टेयर सर्वे क्रमांक 669/1/22 रक्बा 0.418 हैक्टेयर सर्वे क्रमांक 669/1/3 रक्बा 1.672 में से रक्बा 0.418 हैक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेखों अनुसार एक मात्र निरपत के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज चली आ रही है, उक्त भूमि भी वादी को निरपत की मृत्यु के पश्चात् अपने पुत्रियों के साथ समान अंश में प्राप्त होगी। अर्थात् उक्त भूमि में वादी का उत्ताधिकार के आधार पर अंश 1/6 होगा।
- 43— फलस्वरूप उपरोक्त विवेचन एवं गणना के परिणाम स्वरूप यह स्पष्ट होता है कि वादी सम्पूर्ण विवादित भूमियों में 2/7 अंश प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखती है और न ही प्रतिवादी क्रमांक 4 लगायत 8 प्रत्येक का उपरोक्त भूमियों में हिस्सा 1/7 अंश है। बल्कि वादी ललीबाई (वा0सा0-1) ग्राम गोधन की विवादित भूमियों में मात्र निरपत के हिस्से की भूमि में निरपत की मृत्यु के पश्चात् उत्ताधिकार के रूप में सर्वे क्रमांक 614 रक्बा 0.690 हैक्टेयर सर्वे क्रमांक 641 रक्बा 0.05 हैक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 642 रक्बा 0.314 हैक्टेयर में 1/12 अंश एवं ग्राम गोधन की भूमि सर्वे क्रमांक 669/7 रक्बा 0.418 हैक्टेयर सर्वे क्रमांक 669/1/22 रक्बा 0.418 हैक्टेयर सर्वे क्रमांक 669/1/3 रक्बा 1.672 में से रक्बा 0.418 हैक्टेयर भूमि में निरपत की मृत्यु के पश्चात् उत्ताधिकार के रूप 1/6 अंश प्राप्त करने के अधिकार रखती है।
- 44— अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी ललीबाई (वा0सा0-1) ग्राम खैरा की विवादित भूमियों में कोई अधिकार नहीं रखती है बल्कि ग्राम गोधन की विवादित भूमियों सर्वे क्रमांक 614 रक्बा 0.690 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 641 रक्बा 0.05 हैक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 642 रक्बा 0.314 हैक्टेयर में 1/12 अंश एवं ग्राम गोधन की भूमि सर्वे क्रमांक 669/7 रक्बा 0.418 हैक्टेयर सर्वे क्रमांक 669/1/22 रक्बा 0.418 हैक्टेयर सर्वे क्रमांक 669/1/3 रक्बा 1.672 में से रक्बा 0.418 हैक्टेयर भूमि में 1/6 अंश भाग प्राप्त करने का अधिकार रखते हुये उपरोक्त अनुसार राजस्व अभिलेख में अपना नाम दर्ज कराने का अधिकार रखती हैं। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 1 व 2 का आंशिक रूप से प्रमाणित होता है।

विचारणीय वाद प्रश्न क्रमांक-6 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

- 45— वादी की ओर से अपने अभिवचनों की कण्डिका 8 में वाद कारण दिनांक प्रतिवादी क्र० 1 के द्वारा वसीयतनामों के आधार पर कराये गये नामांतरण दिनांक 30.09.2010 के सहित उक्त नामांतरण के आधार पर प्रतिवादी क्र 2 के पक्ष में किया

गया विक्रयपत्र दिनांक 11.07.2011 की दिनांक सहित उक्त तथ्यों की जानकारी होने की दिनांक 15.06.2012 को वाद कारण दिनांक दर्शाते हुये दावा दिनांक 04.07.2012 को प्रस्तुत किया है, जिस पर प्रतिवादी क्र 2 व 6 ने अपने जबाब दावे में यह आपत्ति प्रस्तुत की है कि वादी को विक्रय, वसीयत और नामांतरण की जानकारी थी, इस कारण से इस वाद को अवधि बाधित कर कर चुनौती दी गई। उपरोक्त की गई आपत्ति के संबंध में यह उल्लेखित है कि वर्तमान वाद स्वत्व घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा सहित तहसीलदार/ नायब तहसीरदार चंदेरी के द्वारा पारित आदेश शून्य घोषित किये जाने की सहायता प्राप्त किये जाने गया है जिसके लिये समय सीमा वाद कारण दिनांक से 3 वर्ष की अवधि है।

- 46— प्रतिवादीगण के द्वारा अपने अभिवचनों में यह व्यक्त किया गया है कि वसीयत की जानकारी वादी को थी, परन्तु उक्त अभिवचनों को प्रमाणित करने के लिये अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः वसीयत दिनांक 20.10.2007 को वादी को वाद कारण उत्पन्न हुआ, यह अभिलेख पर कोई साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होता है, यदि वादी को अभिवचन के अनुसार उसका सर्वे क्रमांक 669/1 पर हुआ नामांतरण की दिनांक 30.09.2010 उसके द्वारा किये गये विक्रय दिनांक 11.07.2011 एवं उक्त तथ्यों की जानकारी होने की दिनांक 15.06.12 को वादी के अभिवचन के अनुसार वाद कारण दिनांक के रूप में देखा जावे कि तो उपरोक्त तीनों ही दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के अंदर यह वाद प्रस्तुत किया गया है जिससे यह वाद कहीं भी अवधि बाधित होना प्रकट नहीं होता है। **अतः वाद प्रश्न क्रमांक 6 का प्रमाणित न होने से निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।**

विचारणीय वाद प्रश्न क्रमांक-7 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

- 47— वादी के द्वारा वाद का मूल्य 2000/- रुपये पर निर्धारित करके 570/- रुपये न्यायशुल्क प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रतिवादीगण के द्वारा अपने अभिवचनों में आपत्ति प्रस्तुत की गई कि वाद का मूल्यांकन कम किया जाकर कम न्यायशुल्क अदा किया गया है। वहीं प्रतिवादी क्र 2 व 3 की ओर से अपने अभिवचन में यह आपत्ति प्रस्तुत की गई विक्रय मूल्य 1,10,400/- रुपये पर न्यायशुल्क अदा करना था जो कि उसके द्वारा नहीं किया गया। यह उल्लेख करना उचित होगा कि वादी के द्वारा विवादित भूमि पर स्वत्व घोषणा के साथ पारिणामिक अनुतोष के रूप में स्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है तथा नामांतरण आदेश दिनांक 30.01.06 एवं 30.01.2010 को शून्य घोषित किये जाने के बाद विक्रयपत्र दिनांक 11.07.2011 को भी शून्य घोषित किये जाने की सहायता चाही गई है। इस वाद में यह उल्लेखनीय है कि मुख्य सहायता स्वत्व घोषणा की है जबकि शेष सहायता स्वत्व घोषणा की पारिणामिक सहायता के रूप में चाही गई है।

- 48— अतः जहां स्वत्व घोषणा के साथ परिणामिक सहायता चाही जाती है, वहां न्यायशुल्क वादी को न्यायशुल्क अधिनियम की धारा-7 (iv) c के अनुसार न्यायशुल्क अदा करना होगा, जिसके लिये वादीगण को इप्सित अनुतोष की रकम का कथन कर उस पर मूल्य अनुसार न्यायशुल्क अदा करना था तथा न्यायशुल्क के प्रयोजन के लिये इप्सित अनुतोष और वाद का मूल्यांकन वाद मूल्यांकन अधिनियम के अनुसार एक ही होगा। अतः वादी को 2000/- रुपये पर 12 प्रतिशत की दर से न्यूनतम 100/- रुपये के अधीन रहते हुये, न्यायशुल्क प्रस्तुत करना था। जो कि वादी के द्वारा उक्त गणना से अधिक कुल 570/- रुपये न्यायशुल्क उपरोक्त अनुतोष प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत किया गया है जो कि उचित है। जहां तक विक्रयपत्र की प्रतिफल राशि पर न्यायशुल्क अदा किये जाने का प्रश्न है तो सर्वप्रथम तो वादी इस विक्रयपत्र का पक्षकार नहीं हैं। वहीं विक्रय पत्र को शून्य घोषित किये जाने की सहायता स्वत्व घोषणा की परिणामिक सहायता है जिसके लिये अलग से न्यायशुल्क अदा किये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित है कि वादी ने अपने वाद का उचित मूल्यांकन पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया है।

अतः वाद प्रश्न क्रमांक 7 का निष्कर्ष सकारात्मक दिया जाता है।

विचारणीय वाद प्रश्न क्रमांक-8 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

- 49— प्रतिवादी क्र 2 व 3 की ओर से प्रस्तुत अभिवचनों में प्रतिवादी क्र 3 को अकारण पक्षकार बनाये जाने की आपत्ति उठाते हुये दावे में कुसंयोजन का दोष होने की आपत्ति उठाई है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी क्र 3 प्रतिवादी क्र 2 का पति है तथा स्वयं शांतिबाई प्रसा 2 ने अपने कथनों में यह स्वीकार किया है कि रजिस्ट्री की कार्यवाही उसके पति प्रतिवादी क्र 3 के द्वारा की गई थीं। अतः प्रतिवादी क्र 3 प्रतिवादी क्र 2 के पक्ष में रजिस्ट्री कराने के लिये हितबद्ध पक्षकार था जिसको दावे में पक्षकार बनाये जाने में कोई त्रुटि वादी के द्वारा की गई प्रतीत नहीं होती है। अतः प्रतिवादी क्र 3 का पक्षकार बनाये जाने से दावे में कुसंयोजन का कोई दोष नहीं है। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 8 प्रमाणित न होने से उसका निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक- 9 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

सहायता एवं वाद व्यय-

- 50— ललीबाई (वा0सा0-1) अभिलेख पर आई साक्ष्य प्रस्तुत दस्तावेज एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपना पूरा दावा प्रमाणित करने में सफल नहीं हुई है परन्तु

अभिलेख पर आई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादी यह प्रमाणित करने में सफल रही है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने तथाकथित वसीयत नामा दिनांक 20.10.2008 प्रदर्श पी 28 फर्जी व कूट रचित तैयार किया है तथा उक्त वसीयतनामों के आधार पर तहसील न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 51अ6/09-10 में पारित आदेश दिनांक 30.09.2010 विधि विरुद्ध होकर शून्य घोषित किये जाने योग्य है तथा उक्त नामांतरण के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 2 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 11.07.2011 शून्य एवं निष्प्रभावी दस्तावेज है। वादी भले ही ग्राम खैरा की भूमियों पर अपना स्वत्व साबित करने में सफल नहीं हुई परन्तु वादी ग्राम गोधन की विवादित भूमियों में से सर्वे क्रमांक 614 रक्बा 0.690 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 641 रक्बा 0.05 हैक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 642 रक्बा 0.314 हैक्टेयर में 1/12 अंश एवं ग्राम गोधन की भूमि सर्वे क्रमांक 669/7 रक्बा 0.418 हैक्टेयर सर्वे क्रमांक 669/1/22 रक्बा 0.418 हैक्टेयर सर्वे क्रमांक 669/1/3 रक्बा 1.672 में से रक्बा 0.418 हैक्टेयर भूमि में 1/6 अंश पर अपना स्वत्व साबित करने में सफल रही है।

51- अतः दावा आंशिक रूप से प्रमाणित पाते हुये निम्न आशय की आज्ञाप्ति पारित की जाती है।

01	वादी ललीबाई का ग्राम गोधन की विवादित भूमियों में से <u>सर्वे क्रमांक 614 रक्बा 0.690 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 641 रक्बा 0.05 हैक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 642 रक्बा 0.314 हैक्टेयर में 1/12 अंश एवं ग्राम गोधन की भूमि सर्वे क्रमांक 669/7 रक्बा 0.418 हैक्टेयर सर्वे क्रमांक 669/1/22 रक्बा 0.418 हैक्टेयर सर्वे क्रमांक 669/1/3 रक्बा 1.672 में से रक्बा 0.418 हैक्टेयर भूमि में 1/6 अंश पर स्वत्व घोषित किया जाता है।</u> वादी उपरोक्त अनुसार राजस्व अभिलेखों में अपना नाम इन्द्राज करा सकती है।
02	प्रतिवादी क्रमांक 1 राजेश के पक्ष में निरपत का वसीयतनामा दिनांक 20.10.2007 विधि विरुद्ध होकर शून्य घोषित किया जाता है।
03	वसीयतनामा दिनांक 20.10.2007 के आधार पर नायब तहसीलदार चंदेरी के प्रकरण क्रमांक 51अ6/09-10 में पारित नामांतरण दिनांक 30.09.2010 विधि विरुद्ध होने से शून्य घोषित किया जाता है।
04.	प्रतिवादी क्रमांक 1 राजेश के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 2 शांतिबाई के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 11.07.2011 प्रदर्श डी 2 विधि विरुद्ध होने से वादी के

	मुकाबलें शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किया जाता है।
05.	वादी व प्रतिवादीगण अपना-अपना वाद व्यय वहन करेंगे।
06.	अधिवक्ता शुल्क की राशि प्रत्येक दशा में भुगतान के प्रमाणिकरण के अधीन नियम 523 म0प्र0 व्यवहार न्यायालय नियम एवं आदेश के अनुसार संगणित या जो वास्तविक रूप से भुगतान की गई हो तथा जो न्यून हो व्यय में जोड़ा जावे।

तदनुसार डिक्री की रचना की जावें ।

निर्णय आज दिनांक को दिनांकित मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।
मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित
किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
चन्देरी, जिला अशोकनगर म.प्र.

(आसिफ अहमद अब्बासी)
अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
चन्देरी, जिला अशोकनगर म.प्र.